(173)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक RN/10–1/R/534/1996 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 12–2–1996 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 517/1992–93 अपील

1– श्रीमती मधुर देवी पत्नि स्व.दुर्गाप्रसाद
मोहल्ला विछिया शहर रीवा हाल मुकाम
कोतमा तहसील कोतमा जिला शहडौल
2– श्रीमती गंगादेवी पत्नि स्व.महावीरप्रसाद (मृत वारिस)
क– कामताप्रसाद पुत्र स्व.महावीर प्रसाद
ख– वशिकप्रसाद पुत्र स्व.महावीर प्रसाद
निवासीगण ग्राम सतरी तहसील रामपुर
बघेलान जिला सतना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– छोटेलाल पुत्र रामेश्वर मुडहा
2– गंगादीन पुत्र रामेश्वर मुड़हा
ग्राम कोटी तहसील हुजूर जिला रीवा
3– मध्य प्रदेश शासन --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री हिमान्शु शुक्ला)
(अनावेदक क–1,2 के अभिभाषक श्री एम.एल.शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 17 - 8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 517/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–2–96 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कोठी स्थित भूमि सर्वे कमांक 121 रकबा 8.67 एकड़ तथा 122 रकबा 0.53 एकड़ पर तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 32 अ-6/1991-93 में पारित आदेश दिनांक 31-3-1993 से नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील की गई। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने प्रकरण कमांक 104/अ-6/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 4-6-1993 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 517/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-2-1996 से अपील इस आधार पर निरस्त कर दी कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 4-6-93 प्रत्यावर्तन (अंतरिम स्वरूप) का आदेश है जिसके विरूद्ध अपील प्रचलन-योग्य नहीं है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष की ओर से लेखी बहस प्रस्तुत की गई हैं। लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यानुक्रम में प्रकरण में विचार करना है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 16-2-1996 में लिया गया निर्णय कि , अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन (अंतरिम स्वरूप) आदेश दिनांक 4-6-93 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो प्रचलन-योग्य नहीं है - अपील निरस्त करने में भूल की गई है अथवा नहीं ? सामान्य सिद्धांत है कि यदि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो चुका है प्रकरण अंतिम Stage पर सुनवाई में है अपील को निगरानी में बदलकर सुनवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत अधिकारों का हनन होने की संभावना रहती है। आवेदकगण की मंशा है कि उन्हें अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष गुणदोष के आधार पर मामले में सुनवाई का अवसर मिलना चाहिये। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के प्रकरण कमांक

104/अ–6/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 4–6–1993 के अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त करके मामला हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण उभय पक्ष को तहसीलदार के समक्ष सुनवाई का एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 517/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–2–96 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 517/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–2–96 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर